UPCD010006992026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6128
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 113 सन् 2026

अफसर अहमद पुत्र फैयाज अहमद बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य।
मु.अ.सं. – 19 सन् 2026
धारा–3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम
थाना – सैयदराजा जनपद– चन्दौली।

दिनाँकः 11.3.2026,

1. थाना–कोतवाली सैयदराजा के मु.अ.सं. 19/2026, अन्तर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम, जनपद चन्दौली के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त अफसर अहमद पुत्र फैयाज अहमद की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त अफसर अहमद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एवं शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत है, न ही लम्बित है न ही निस्तारित ही है।

2. **संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि;**

3. दिनाँक 19.01.2026 को थाना–सैयदराजा, जनपद– चन्दौली में वादी उपनिरीक्षक धर्मदेव प्रसाद द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनाँक 19.01.2026 को वादी मुकदमा/ उपनिरीक्षक धर्मदेव प्रसाद मय हमराह हे0कां0 मनोज गुप्ता व कां. देवेन्द्र कुमार मौर्या मय सरकारी वाहन संख्या यूपी.67.जी.0374 मय चालक कां0 गुंजन तिवारी मय हसबुल तलब हमराह एसएचओ, हे0कां0 मो0 नसीरुद्दीन हुमायूं, कां0 विष्णु प्रजापति के साथ जमनियाँ तिराहे पर संदिग्ध वाहनो एवं व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थे कि मुखबिर ने आकर सूचना दिया कि चन्दौली की तरफ से दो छोटी मैजिक गाडियों में गोवंश लाद कर वध हेतु बिहार की तरफ ले जा रहे हैं यदि जल्दी करें तो पकडे जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मुखबिर की सूचना से हमराही पुलिस बल को अवगत कराते हुए मय मुखबिर व हमराही पुलिस बल को साथ लेकर जेठमलपुर तिराहा एनएच 2 हाईवे उत्तरी लेन पर पहुँचे और हमराही पुलिस बल को लेकर पुलिस बैरियर लगाकर चन्दौली की तरफ से आने वाले छोटे वाहनों की चेकिंग शुरु की गई। चेकिंग इस प्रकार की जा रही थी कि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। लगभग आधे घंटे बाद चन्दौली की तरफ से दो मैजिक वाहन एक दूसरे के पीछे आती दिखाई दीं। मुखबिर खास ने इशारा किया कि सामने से जो दो छोटी सफेद मैजिक गाडियाँ एक दूसरे के पीछे आ रही हैं इसी में गोवंश लदे हैं। मुखबिर इशारा कर पीछे मुड कर चला गया। तत्पश्चात वादी/उ0नि0 बिना समय गवाये हमराही पुलिस बल को सतर्क कर चन्दौली की तरफ से आ रही मैजिक वाहनों को इशारा कर हाईवे के किनारे गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस वालों को चेकिंग करता देख दोनो मैजिक वाहन चालक गाड़ियों को भगाना चाहे जिन्हें मौके पर ही पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से घेर घार कर मौके पर ही रोक कर पकड़

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.11 16:13:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिया गया और दोनो गाडियों को हमराही कर्मचारगण की मदद से हाईवे के किनारे किया गया और बारी बारी पकड़े गये वाहनों व चालकों से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो पहले वाहन जिस पर नम्बर प्लेट पर UP65JT9364 टाटा इन्ट्रा V–10 मैजिक के चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतार कर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो अपना नाम सुजीत यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र स्व0 पप्पू यादव निवासी रौना, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली बताया। इस वाहन के परिचालक सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम अनिल यादव पुत्र गनेश यादव निवासी सहजौर, थाना मुगलसराय, जिला चन्दौली बताया। चालक व परिचालक से वाहन में लदे सामान के बारे में पूछा गया तो दोनों ने एक स्वर में बताया कि इसमें एक गाय लदी है जिसको वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा है और इसके पीछे वाली गाड़ी मे भी दो गाय लदी हैं। चालक परिचालक को साथ लेकर वाहन के डाला को खुलवाकर देखा गया तो एक राशि गाय पायी गयी। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों को निगरानी में लेकर दूसरे वाहन के चालक वाहन सं0 UP65GT-9870 अशोक लिलैण्ड मैजिक जिसके चालक को गाड़ी से उतार कर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो अपना नाम विकाश यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम मचिया कला थाना चन्दौली जिला चन्दौली बताया। उसको साथ लेकर वाहन के डाला को खोलवाकर देखा गया तो उसमें दो राशि गोवंश रस्सी से बंधी पायी गई। मौके पर पकड़े गये सभी अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताये कि यह सभी गायें अलग अलग स्थानों से इकट्ठा कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। एक गाड़ी में एक गाय इसलिए लाद कर ले जा रहे थे कि पुलिस को शक न हो कि यह वध के लिए ले जायी जा रही है। पकड़े गये व्यक्तियों से कडाई से पूछने पर अनिल यादव ने बताया कि वे लोग इन गोवंशो को सुभाष यादव पुत्र अज्ञात निवासी चतुर्भुजपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली मो.नं. 8423978040 मूल पता रघुनाथपुर जिम्मेदारी पुलिया थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ बिहार के द्वारा लदवाने पर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। बरामद वाहन UP65JT9364 टाटा इन्ट्रा V–10 को ई–चालान ऐप के माध्य से चेक किया गया तो पता चला कि वाहन उपरोक्त गनेश यादव पुत्र स्व0 गुनराज यादव धमहरपुर गाजीपुर मो.नं. 7800839493 हाल पता सहजौर, थाना मुगलसराय, जिला चन्दौली के नाम पंजीकृत है तथा UP65GT 9870 अशोक लिलैण्ड मैजिक ई–चालान एप के माध्य से चेक किया गया तो पता चला कि वाहन उपरोक्त अफसर अहमद पुत्र फैयाज अहमद, निवासी दयाद कलीब C-18/91 माता कुण्ड पित्रकुण्डा सिगरा, वाराणसी के नाम पंजीकृत होना पाया गया। उक्त के आधार पर सुजीत यादव उर्फ गोलू यादव, अनिल यादव, विकाश यादव, सुभाष यादव, गनेश यादव एवं अफसर अहमद को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के माध्यम से मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या एवं मनगढ़न्त कथानक के आधार पर आरोपित किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी को न तो घटनास्थल से पकड़ा गया है और न ही प्रार्थी के पास से कोई पशु बरामद हुआ है। प्रार्थी के अधिपत्य, स्वामित्व अथवा संकेत पर कोई गोवंश बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी को प्राथमिकी में यू.पी. 65जी.टी.–9870 का मालिक होना कहा गया है। जबकि घटना के समय प्रार्थी का उक्त वाहन से कोई वास्ता–सरोकार नहीं था। उक्त वाहन दिनाँक 14.10.2025 को ही विकास यादव पुत्र बहादुर यादव, ग्राम मचिया कला को दो लाख पाँच हजार रुपये में बेच दिया था, किश्त पुरा जमा न होने के कारण गाड़ी विकास यादव के नाम ट्रान्सफर नहीं हो पाया था। प्रार्थी को मात्र आर.सी. पर नाम होने के कारण उसकी क्षवि धूमिल करने के आशय से उपरोक्त विवाद में अभियुक्त बनाया गया है तथा पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने की

कोशिश कर रही है। प्रार्थी न तो किसी गवाह को डरायेगा और न ही धमकी देगा और गवाही देने से रोकेगा। प्रार्थी को पुलिस जब भी आहूत करेगी, स्वयं के खर्च पर उपस्थित होगा। बिना न्यायालय की अनुमति के भारत के बाहर नहीं जायेगा। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पर्याप्त चल एवं अचल सम्पत्ति है। बाद जमानत उसके फरार होने की संभावना नहीं है। उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त गोवंशीय पशुओं का वध के आशय से तस्करी करता है। अपने चालक के माध्यम से अपने स्वामित्व वाले वाहन संख्या यू.पी. 65जी.टी.–9870 से दो राशि गोवंशीय पशु को वध हेतु परिवहन कराया जा रहा था। उक्त वाहन के चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उक्त घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाय।

6. जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनाँकित 19.01.2026 समय करीब 15:30 बजे के बाबत वादी मुकदमा उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी के आधार पर वाहन संख्या– यू.पी.65जी.टी.–9870 एवं एक अन्य वाहन के स्वामी एवं चालकों तथा परिचालकों के विरुद्ध दिनाँक 19.01.2026 समय 18:24 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यू.पी.65जी.टी.–9870 का स्वामी है तथा उसके विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के स्वामित्व वाले वाहन एवं एक अन्य वाहन को वध हेतु गोवंशो को लादकर बिहार ले जाते समय पकड़े जाने पर दोनो वाहनों से कुल तीन राशि गोवंशो को बरामद किया जाना कहा गया है। उक्त गोवंशों को वाहन में इस प्रकार मुंह व पैरों से कूरतापूर्वक बांधकर लादा गया था कि वे बुरी तरह हांफ रहे थे। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में स्वयं को प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी होना स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र के पैरा–7 में यह कहा गया है कि वाहन उपरोक्त को दिनाँक 14.10.2025 को दो लाख पाँच हजार रुपये में विकास यादव पुत्र बहादुर यादव, ग्राम मचिया कला को विक्रय कर दिया था। किन्तु नोटोरियल स्टैम्प पर लिखा–पढ़ी करके अपने स्वामित्व वाले वाहन को किसी अन्य को विक्रय कर देने से प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि उसका यह दायित्व था कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा नोटोरियल लिखा–पढ़ी के आधार पर अपने स्वामित्व वाले वाहन को जिसे विक्रय किया जा रहा है, वह उसका उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि के लिए तो नहीं करेगा। जब तक स्वामित्व का स्थानान्तरण नहीं हो जाता, तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि प्रश्नगत वाहन से घटित किसी भी अपराधिक कृत्य की जिम्मेदारी वाहन के पंजीकृत स्वामी की होगी। इस स्तर पर पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त वाहन उक्त रीति से प्रार्थी/अभियुक्त की सहमति या ज्ञान के बिना प्रयुक्त हुआ है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अब तक संकलित किये गये साक्ष्यों से उक्त अपराध को कारित करने में प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश गोवंश नि0 अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 जो कि दिनांक

11.06.2020 से प्रभावी है कि धारा 7ए(1)(बी) को दृष्टिगत रखना होगा। उक्त वर्णित तथ्यों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं है। अस्तु प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त अफसर अहमद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनाँक : 11.03.2026

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।